



R-1446-10/08

1- मन्नू लाल माधवानी तनय कीमतमल माधवानी
2- संजय कुमार माधवानी तनय मन्नूमल माधवानी
3- अजय कुमार माधवानी तनय मन्नूमल माधवानी
4- विजय कुमार तनय मन्नू लाल माधवानी
अन्य 17 कुल 21 निवासी मोहल्ला तोपखाना रीवा, तहसील
हुजूर, जिला रीवा §म०प्र०§

बनाम

म०प्र०शासन

प्रत्यर्था

अपील बिरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर महोदय
रीवा संभागरीवा म०प्र०के अपील प्रकरण
क्रमांक-153/अपील/04-05 मे पारित आदेश
दिनांक 14-2-2008 के बिरुद्ध अन्तर्गत
धारा 47 §2§ §3§ स्टाम्प शेट केअधीन
अपील

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य-

यह कि अपीलार्थीगणों के द्वारा दस्तावेज का निष्पादन
कराकर विक्रय पत्र कीकीमत 300000/-रुपये मे 29625/-रुपये का मुद्रांक
शुल्क चस्पा किया गया लेकिन बाद मे उप पंजीयक महोदय रीवा /
स्टाम्प क्लेक्टर के द्वारा पुनः बिना सूचना व सुनवायी का अवसर
दिये वगैर उक्त विक्रय पत्र का प्रस्तावित मूल्य 168/453/-रुपये का
कमी मुद्रांक शुल्क वसूलीहेतु मुद्रांक शुल्क 1,30,000/-रुपये 673
जमा किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया । जिससे पीड़ित होकर
अपर आयुक्त महोदय रीवा केन्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी
जोअपील भी निरस्त कर दी गयी जिससे उक्त आदेश के बिरुद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

मन्मूलाल माधवानी | म० प्र० शालिन
अनुवृत्ति आदेश वृष्ट

प्रकरण क्रमांक R 1446/1408

जिला रोज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5-04-2016 <u>5</u> <u>1215716</u>	<p>यह प्रकरण मेरे द्वारा सुना जाकर आदेशार्थ नियत किया गया था । मेरा स्थानांतरण हो जाने से आदेश पारित नहीं किया जा सका है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।</p> <p>पेशी दिनांक- 10.8.16</p> <p>(आशीष श्रीवास्तव) सदस्य</p> <p>सावेदक अभिभाषक श्री- सच्चिदा नंद चंदेल उपनिष्ठा/ उमरे बाल मॉडल एवं शिक्षित से निवेदन- किया गया है कि वह अब प्रकला सागे मदी चलाना चाहते हैं। अतः सावेदक अभिभाषक के निवेदन पर प्रकला इली स्तर-पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p>पक्षकारी एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर</p> <p>उमरे चंदेल गुणवत्ता 12/5/16</p>